राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6884/2024

अरावली रिसोर्सेज एलएलपी, अपने नामित भागीदार श्री दिलीप दत्त शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री विष्णु दत्त शर्मा, उम्र लगभग 54 वर्ष, के माध्यम से, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट संख्या ए-34, शहीद चंद्र शेखर आज़ाद अफोर्डेबल आवासीय योजना, डीसीएम रोड, कोटा, राजस्थान में है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर।

3. खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, भीलवाड़ा (राजस्थान)

4. एमएसटीसी लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम एवं ई-नीलामी एजेंसी जिसका क्षेत्रीय कार्यालय कमरा नंबर 114, प्रथम तल, बीएसएनएल बिल्डिंग, लाल कोठी, नगर निगम के पीछे, जयपुर-302015 में है

----प्रतिवादी

साथ में

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6866/2024

अरावली रिसोर्सेज एलएलपी, अपने नामित भागीदार श्री दिलीप दत्त शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री विष्णु दत्त शर्मा, उम्र लगभग 54 वर्ष, के माध्यम से, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट संख्या ए-34, शहीद चंद्र शेखर आज़ाद अफोर्डेबल आवासीय योजना, डीसीएम रोड, कोटा, राजस्थान में है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर।

3. खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, भीलवाड़ा (राजस्थान)

4. एमएसटीसी लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम एवं ई-नीलामी एजेंसी जिसका क्षेत्रीय कार्यालय कमरा नंबर 114, प्रथम तल, बीएसएनएल बिल्डिंग, लाल कोठी, नगर निगम के पीछे, जयपुर-302015 में है ----प्रतिवादी

साथ में

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6870/2024

अरावली रिसोर्सेज एलएलपी, अपने नामित भागीदार श्री दिलीप दत्त शर्मा पुत्र

स्वर्गीय श्री विष्णु दत्त शर्मा, उम्र लगभग 54 वर्ष, के माध्यम से, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट संख्या ए-34, शहीद चंद्र शेखर आज़ाद अफोर्डेबल आवासीय योजना, डीसीएम रोड, कोटा, राजस्थान में है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर।

3. खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, भीलवाड़ा (राजस्थान)

4. एमएसटीसी लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम एवं ई-नीलामी एजेंसी जिसका क्षेत्रीय कार्यालय कमरा नंबर 114, प्रथम तल, बीएसएनएल बिल्डिंग, लाल कोठी, नगर निगम के पीछे, जयपुर-302015 में है ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री आर.के. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता,
श्री अधिराज मोदी द्वारा सहायता प्राप्त।
श्री प्रताप ठाकुर।
श्री अभिषेक चौधरी।
सुश्री अद्वैत शर्मा।

प्रतिवादी के लिए: श्री महावीर बिश्नोई, एएजी,
श्री गौरव बिश्नोई

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति नूपुर भाटी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

आरक्षित तिथि: 03/05/2024

उच्चारण तिथि: 07/05/2024

1. यद्यपि मामला नई श्रेणी में सूचीबद्ध है, तथापि पक्षकारों के अधिवक्ताओं के संयुक्त अनुरोध पर मामले की सुनवाई आज ही की जा रही है।

2. ये रिट याचिकाएँ याचिकाकर्ता द्वारा खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर में निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 15.04.2024 को पारित आदेश (अनुलग्नक 15) को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिसके तहत 40,00,000/- रुपए की बयाना राशि ('ईएमडी') जब्त कर ली गई है और याचिकाकर्ता को 5 वर्ष की अवधि के लिए नीलामी कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को निर्देश देने की भी मांग की है कि वे ई-नीलामी नोटिस दिनांक 06.03.2024 (अनुलग्नक 2) के तहत राजस्व गांव अकोला, तहसील सवाईपुर, जिला भीलवाड़ा में स्थित भूखंड संख्या बीजे-05 के लिए लघु खनिज बजरी (नदी रेत) के लिए खनन पट्टे को अंतिम रूप न दें, और जब तक प्रतिवादियों द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तब तक उद्धृत प्रीमियम राशि का 40% जमा करने पर जोर न दें। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि प्रतिवादियों को उक्त भूखंड के लिए नई नीलामी आयोजित करने की अनुमति न दी जाए। याचिकाकर्ता द्वारा कुछ अन्य सहायक राहत भी मांगी गई है।

3. ये रिट याचिकाएं, एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 6866/2024 और 6870/2024 वर्तमान रिट याचिका के साथ इस सामान्य आदेश द्वारा तय की जा रही हैं, हालांकि, एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 6884/2024 के तथ्यों को उदाहरण के तौर पर विचार के लिए लिया गया है।

4. संक्षेप में कहा जाए तो इस मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 ने जिला भीलवाड़ा और सिरोही में स्थित माइनर बजरी के लिए 14 भूखंडों के लिए ई-नीलामी नोटिस संख्या एम.एल. बजरी II/2024/ई 05502 दिनांक 06.03.2024 (अनुलग्नक 2) जारी किया। याचिकाकर्ता ने 23.03.2024 को बोली के माध्यम से भूखंड संख्या बी.जे.-05 के लिए ई-नीलामी में भाग लिया (अनुलग्नक 3), जिसमें इसकी बोली 1.50 लाख रुपये थी। 85,99,43,240/- के साथ-साथ 40,00,000/- रुपए बयाना राशि और अपेक्षित दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद, 28.03.2024 को नीलामी हुई और उसी दिन, एक मेल (अनुलग्नक 4) के माध्यम से, याचिकाकर्ता को एक सफल बोलीदाता घोषित किया गया और इस प्रकार राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 2017 ('2017 के नियम') के नियम 14(10) के तहत प्रदान किए गए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, ऐसा न करने पर बोली सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और याचिकाकर्ता को 5 साल के लिए भविष्य की ई-नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई बोली सुरक्षा/बयाना राशि के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 30.03.2024 (अनुलग्नक 5) का चालान जारी किया गया था, जिसकी राशि 40,00,000 रुपए थी।

5. उक्त सूचना मेल (अनुलग्नक 4) के जवाब में याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.04.2024 (अनुलग्नक 6) को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि अपेक्षित दस्तावेज 23.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 4, खनन विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा उसी पत्र के माध्यम से खनिज बजरी की

बिक्री के लिए खदान के मुहाने पर अधिकतम बिक्री मूल्य के संबंध में नियमों व शर्तों के संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा है।

6. तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 04.04.2024 (अनुलग्नक 7) के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को बोली सुरक्षा राशि 40,00,000/- रुपये समायोजित करने के पश्चात प्रीमियम राशि के 40% की प्रथम किस्त के साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 05.04.2024 (अनुलग्नक 10) का पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 06.03.2024 के ई-नीलामी नोटिस की विरोधाभासी और अस्पष्ट शर्तों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था और उसके बाद दिनांक 09.04.2024 (अनुलग्नक 11) और 11.04.2024 (अनुलग्नक 12) के अनुस्मारक पत्र भी भेजे गए थे, जिसमें उपर्युक्त आधारों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 13.04.2024 (अनुलग्नक 13) के पत्र में स्पष्ट किया था कि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना है, क्योंकि ई-नीलामी नोटिस स्वयं उक्त आधारों पर स्पष्ट है। उसी के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.04.2024 (अनुलग्नक 14) का एक और पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया कि ई-नीलामी नोटिस की उक्त शर्तें अस्पष्ट और असंभव हैं।

7. तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 15.04.2024 के आदेश (अनुलग्नक 15) के तहत बोली सुरक्षा राशि 40,00,000/- रुपये जब्त कर ली तथा याचिकाकर्ता को 5 वर्षों के लिए भविष्य की ई-नीलामी में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रीमियम राशि की पहली किस्त जमा नहीं की गई तथा 2017 के नियम 14(10) का उल्लंघन किया गया।

8. इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 15.04.2024 के आदेश (अनुलग्नक 15) से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका प्रस्तुत की है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि लीज डीड के पंजीकरण की तिथि ई-नीलामी नोटिस की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जाएगी कि खनन पट्टे की अवधि पट्टे के पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष होगी और यह इस कारण से अस्पष्ट है कि 2017 के नियम 16 (3) के अनुसार खनन पट्टा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाएगा कि पट्टेदार पर्यावरण मंजूरी ('ईसी') प्राप्त करने के बाद खनन कार्य शुरू करेगा। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि हालांकि खनन पट्टा पट्टेदार के पक्ष में प्रदान किया जाएगा, तथापि, जब तक संबंधित प्राधिकारी से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक कोई भी खनन गतिविधि नहीं की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में लगभग एक-दो वर्ष लगते हैं और इस प्रकार ई-नीलामी नोटिस में उक्त शर्त कि पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष की वैधता अवधि गिनी जाती है, एक अस्पष्टता पैदा करती है क्योंकि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही खनन गतिविधियां की जा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि पट्टेदार के पक्ष में पांच वर्ष की अवधि के लिए पर्यावरण मंजूरी नहीं दी जा सकती और ऐसी स्थिति में, खनन पट्टे का संचालन किए बिना ही पट्टे की अवधि समाप्त हो जाएगी और पट्टेदार को अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दीपक कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य: (2012) 4 एससीसी 629 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में, प्रतिवादी राज्य द्वारा लघु खनिज के लिए पट्टा केवल तभी दिया जाएगा जब संबंधित व्यक्ति द्वारा पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली गई हो। उन्होंने आगे कहा कि जब तक प्रतिवादी

राज्य पांच वर्ष की पट्टा अवधि के प्रारंभ होने को स्पष्ट नहीं करता, तब तक याचिकाकर्ता एक इच्छुक बोलीदाता होने के नाते उक्त नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि ई-नीलामी नोटिस में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रतिवादी राज्य द्वारा खनिज बजरी का अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया है, जो रॉयल्टी के पांच गुना से अधिक नहीं होगा तथा उक्त विक्रय मूल्य में सभी कर, रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी-रॉयल्टी का 10%), राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (आरएसएमईटी-रॉयल्टी का 2%), उत्खनन व्यय, श्रम एवं लोडिंग आदि सम्मिलित होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त शर्त में उल्लेख है कि अधिकतम विक्रय मूल्य नदी के मुहाने पर बजरी के विक्रय पर लागू होगा, जिससे याचिकाकर्ता यह मान लेता है कि प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य पर बजरी का विक्रय मुहाने पर किया जाना है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि ई-नीलामी नोटिस में निर्धारित उक्त शर्त 2017 के नियम 13 (6) के प्रावधान द्वारा समर्थित है, जिसमें कहा गया है कि खनिज बजरी के मामले में, राज्य सरकार पट्टे के गड्ढे के मुहाने पर अधिकतम बिक्री मूल्य निर्दिष्ट कर सकती है और सफल बोलीदाता ऐसी निर्दिष्ट कीमत पर बजरी की डिलीवरी या बिक्री करेगा।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि ई-नीलामी नोटिस की शर्त संख्या एन (2) के अनुसार, पट्टाधारक को नदी के दो किलोमीटर के दायरे में दो स्टॉकयार्ड की पहचान कर उन्हें स्थापित करना होगा, जहां बजरी का भंडारण किया जाएगा और तौल पुल पर तौल कर बेचा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ई-नीलामी नोटिस में निर्धारित शर्त संख्या एन (20) के अनुसार, पट्टाधारक उक्त शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि पट्टाधारक को केंद्रीय अधिकार समिति (सीईसी)

द्वारा दिनांक 23.12.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 (III) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी 2016 और 2020 के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा, जो विशेष रूप से पट्टाधारक को गड्ढे के मुहाने से बजरी की बिक्री करने से प्रतिबंधित करता है। उन्होंने कहा कि एक ओर बोलीदाता को नदी के गड्ढे के मुहाने से बजरी बेचने की अनुमति नहीं है, वहीं दूसरी ओर बजरी का अधिकतम विक्रय मूल्य नदी के गड्ढे के मुहाने पर बजरी की बिक्री पर लागू होता है। इस प्रकार, प्रतिवादियों ने अस्पष्टता पैदा कर दी है, क्योंकि जब बोलीदाता नदी के गड्ढे के मुहाने से बजरी नहीं बेच सकता, तो राज्य सरकार नदी के गड्ढे के मुहाने से बजरी का अधिकतम विक्रय मूल्य भी निर्दिष्ट नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने विरोधाभासी और अस्पष्ट शर्तों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रतिवादियों के समक्ष विभिन्न पत्र और ई-मेल प्रस्तुत किए हैं, हालांकि, प्रतिवादियों ने मामले पर चुप्पी साधे रखी, जबकि वे उनके द्वारा बनाई गई अस्पष्टता और विरोधाभासी स्थितियों का जवाब देने के लिए बाध्य थे। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी राज्य द्वारा दायर जवाब की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया तथा प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पत्र का जवाब नहीं दिया, तथापि, उत्तर में उन्होंने यह रुख अपनाया है कि खनन पट्टा केवल पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात ही प्रदान किया जाएगा तथा खनन पट्टा धारक को ई-नीलामी के लिए रखे गए क्षेत्र में पूरे पांच वर्ष कार्य करने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के कारण कि प्रतिवादियों ने ई-नीलामी नोटिस में अस्पष्ट शर्तों को स्पष्ट नहीं किया, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा जारी दिनांक 23.03.2024 (अनुलग्नक 3) तथा 04.04.2024 (अनुलग्नक 7) के संचार में निर्धारित अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं किया।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि संविदा अधिनियम की धारा 29 के आलोक में, जिन करारों का अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किए जाने योग्य नहीं है, वे शून्य हैं और इस प्रकार वर्तमान मामले में, जब ई-नीलामी नोटिस में दी गई शर्तें अस्पष्टता और एक-दूसरे के प्रति विरोधाभास रखती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ई-नीलामी नोटिस को ही रद्द कर दिया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई करार किया गया है, तो वह स्वयं शून्य होगा और प्रतिवादियों को स्पष्ट और असंदिग्ध शर्तों के साथ नए सिरे से ई-नीलामी नोटिस जारी करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 के अनुसार, जब किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट रूप से अस्पष्ट या दोषपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है जो उसका अर्थ दर्शाए या उसके दोष की पूर्ति करे; और वर्तमान मामले में ई-नीलामी नोटिस में प्रयुक्त भाषा अस्पष्ट और दोषपूर्ण है, और इसलिए, ई-नीलामी नोटिस को रद्द करने और अलग रखने की आवश्यकता है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 15.04.2024 (अनुलग्नक 15) का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है क्योंकि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना उक्त आदेश पारित किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कई मौकों पर, याचिकाकर्ता ने ई-नीलामी नोटिस की शर्तों के बारे में स्पष्टीकरण मांगने के लिए पत्र भेजे थे, हालांकि प्रतिवादियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन पर ध्यान दिए बिना आदेश पारित किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस की अनुपस्थिति में शक्ति का दुरुपयोग है और इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

उन्होंने गोरखा सुरक्षा सेवा बनाम दिल्ली सरकार [(2014) 9 एससीसी 105] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया। प्रासंगिक पैरा इस प्रकार है:

> 17. पार्टियों के लिए यह एक आम मामला है कि ब्लैकलिस्टिंग से पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए। इस संबंध में कानून पूरी तरह से स्थापित है और इसमें बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जानी है, उसे अवसर देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करने की आवश्यकता के पीछे एक वैध और ठोस तर्क है। ब्लैकलिस्टिंग के साथ कई नागरिक और/या बुरे परिणाम सामने आते हैं। इसे ब्लैकलिस्टिंग के आदेश के साथ थोपे गए व्यक्ति की "नागरिक मृत्यु" के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा आदेश प्रकृति में कलंकपूर्ण है और ऐसे व्यक्ति को सरकारी निविदाओं में भाग लेने से रोकता है जिसका अर्थ है कि उसे सरकारी अनुबंधों के पुरस्कार से वंचित करना। वर्ष 1975 में, इस न्यायालय ने एरुशियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के मामले में। (1975) 1 एससीसी 70, ने ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करके एक अवसर दिए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिससे उसे उन आरोपों का सामना करने का अवसर मिले, जो ऐसे व्यक्ति को काली सूची में डालने पर विचार कर रहे प्राधिकरण के मन में थे।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि उपर्युक्त उल्लंघनों के कारण, प्रतिवादियों की कार्रवाई में पारदर्शिता और स्पष्टता का अभाव है और इस प्रकार इसके अभाव में, याचिकाकर्ता ने स्पष्टीकरण मांगा, जिसका प्रतिवादियों द्वारा भी सहारा नहीं लिया गया और उन्होंने बोली सुरक्षा जब्त करने और याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादियों की उक्त कार्रवाई सार्वजनिक हित के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं है, बल्कि यह शक्ति का दुरुपयोग है और आम जनता के हित के खिलाफ है।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दत्ता एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम इंडो मर्चेंटाइल्स (पी) लिमिटेड, (1997) 1 एससीसी 53; टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ, (1994) 6 एससीसी 651; के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा किया। मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, (2009) 6 एससीसी 171; और माननीय हिमाचल प्रदेश द्वारा रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2022) 0 सुप्रीम (एचपी) 419 के मामले में पारित निर्णय।

16. इसके विपरीत, विद्वान एएजी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने 10,000/- रुपये की गैर-वापसी योग्य आवेदन फीस और बोली सुरक्षा राशि भी जमा कर दी है और इसलिए, याचिकाकर्ता ने एक बार ई-नीलामी नोटिस में भाग लेने के बाद देरी से शर्तों को चुनौती नहीं दे सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि ई-नीलामी नोटिस की शर्त संख्या 1 (2) के अनुसार, यह स्पष्ट है कि आवेदन शुल्क और बोली सुरक्षा जमा करने के बाद, बोलीदाता ई-नीलामी कार्यवाही में भागीदार बन जाता है और ऐसे मामले में, याचिकाकर्ता ई-नीलामी नोटिस में निर्धारित शर्तों से बंधा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता ने नीलामी की कार्यवाही में खुली आंखों से भाग लिया है और ई-नीलामी नोटिस में निर्धारित शर्तों को पढ़ने के

बाद, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकता है और इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है। विद्वान एएजी ने यह भी कहा कि 2017 के नियमों के नियम 15 (9) के अनुसार, यह माना जाएगा कि बोली प्रस्तुत करके बोलीदाता ने ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले से संबंधित सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्रदान की गई जानकारी में अपर्याप्तता, त्रुटि या गलती के जोखिम को स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता ई-नीलामी नोटिस की शर्तों को चुनौती देने वाली वर्तमान रिट याचिका दायर करके कोई आपत्ति नहीं उठा सकता है। 2017 के नियमों के नियम 15 (9) में निम्नलिखित लिखा है:

> "15. ई-नीलामी मंच पर कोई भी बोली प्रस्तुत करने के लिए दिशा-निर्देश।-
>
> xxx
>
> (9) यह माना जाएगा कि बोली प्रस्तुत करके बोलीदाता ने,
>
> (i) ई-नीलामी के लिए नियमों या दिशा-निर्देशों की पूरी और सावधानीपूर्वक जांच की है और बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से उनकी शर्तों को स्वीकार किया है;
>
> (ii) सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी प्रासंगिक जानकारी की समीक्षा की है, जो बोली के लिए प्रासंगिक हो सकती है;
>
> (iii) ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले से संबंधित सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्रदान की गई जानकारी में अपर्याप्तता, त्रुटि या गलती के जोखिम को स्वीकार किया है;
>
> (iv) नियमों के अनुसार सूचित बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-

नीलामी प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों के बारे में खुद को संतुष्ट किया है; और

(v) स्वीकार किया और सहमति व्यक्त की कि अपर्याप्तता, अपूर्णता या सूचना की गलतता या ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले की अज्ञानता सरकार से मुआवजे, क्षति, अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए समय विस्तार, लाभ की हानि आदि के किसी भी दावे का आधार नहीं होगी।

17. विद्वान एएजी ने यह भी प्रस्तुत किया कि ई-नीलामी नोटिस में निर्धारित की गई शर्तें कि खनन पट्टे की अवधि खनन पट्टे के पंजीकरण की तिथि से शुरू होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी, 2017 के नियम 9 (1) और 21 (6) के प्रावधानों के अनुसार पूरी तरह से है। विद्वान एएजी ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई आशंका कि यदि ईसी को विलंबित चरण में प्राप्त किया जाता है, अर्थात खनन पट्टे के पंजीकरण के काफी बाद, याचिकाकर्ता को खनन गतिविधि के लिए पूरे पांच साल की अवधि नहीं मिलेगी, पूरी तरह से गलत है क्योंकि नियमों के नियम 21 (4) के प्रावधान के प्रकाश में, याचिकाकर्ता या पट्टाधारक औपचारिकताओं को पूरा करने में विफल होने पर वास्तविक देरी के लिए समय विस्तार की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को विलम्ब से ईसी प्राप्त हो जाती है तो वह नियम 2017 के नियम 21(4) के प्रावधान के आलोक में समय विस्तार की मांग कर सकता है। विद्वान एएजी ने कहा कि ई-नीलामी नोटिस की शर्त संख्या एन (5) और शर्त संख्या एन (2) में कोई विरोधाभास या अस्पष्टता नहीं है, जिसमें नदी स्थल से 2 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्टॉकयार्ड स्थिति में बजरी के विक्रय मूल्य के बारे में उल्लेख किया गया है, जहां बजरी का भंडारण किया जाना है। उन्होंने कहा कि ई-नीलामी नोटिस की शर्त एन (5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2021

के आदेश के तहत अनुमोदित सीईसी की सिफारिशों के अनुरूप है और इस प्रकार याचिकाकर्ता का यह तर्क कि शर्त सीईसी की सिफारिशों का उल्लंघन है, बेबुनियाद है। उन्होंने यह भी कहा कि शर्त संख्या एन (5) के अनुसार, खनन पट्टाधारक को ई-ट्रांजिट पास के माध्यम से वजन करके स्टॉकयार्ड से खनिज बजरी को भेजना आवश्यक है, जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से बनाया जाता है और स्टॉकयार्ड में बजरी की अधिकतम बिक्री मूल्य 2017 के नियमों की दूसरी अनुसूची के अनुसार और समय-समय पर संशोधित बजरी की मात्रा और रॉयल्टी का गुणन होगा। इस प्रकार उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं भ्रम पैदा कर रहा है, जबकि ई-नीलामी नोटिस में शर्तें स्वयं स्पष्ट हैं क्योंकि शर्त संख्या एन (2) बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि पट्टाधारक नदी के 2 किलोमीटर के भीतर दो स्टॉक साइटों का चयन करेगा, जहां खाताधारक एक इनकमिंग आउटगोइंग रजिस्टर स्थापित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कोई शर्त नहीं है जो पट्टाधारक को नदी के गड्ढे के मुहाने से खनिज बजरी का उत्खनन करने की अनुमति देती है क्योंकि यह सीईसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदित रिपोर्ट का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक शर्त संख्या (5) का संबंध है, नदी के गड्ढे के मुहाने को केवल खनिज बजरी की अधिकतम कीमत निर्धारित करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि उक्त शर्त विशेष रूप से पट्टाधारक को बजरी को निर्धारित दर से अधिक बिक्री मूल्य पर बेचने से रोकती है और ऐसी शर्त केवल बजरी को गड्ढे के मुहाने पर निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री मूल्य पर बेचने से रोकने के लिए है। उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि चूंकि ई-नीलामी नोटिस में निर्धारित शर्तें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.11.2021 के आदेश के अनुसार थीं और हैं, और स्व-व्याख्यात्मक हैं, इसलिए प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पत्रों का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

विद्वान एएजी ने प्रस्तुत किया कि लगभग 132 बोलीदाताओं ने बिना किसी आपत्ति के ई-नीलामी नोटिस में भाग लिया है, जो इस तथ्य को फिर से पुष्ट करता है कि ई-नीलामी नोटिस में निर्धारित शर्तों में कोई अस्पष्टता या विरोधाभास नहीं है।

18. विद्वान एएजी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि ई-नीलामी नोटिस में स्पष्टता का अभाव है, न्यायोचित नहीं है, क्योंकि न केवल ई-नीलामी नोटिस बल्कि 2017 के नियम भी इस स्थिति पर स्पष्ट हैं कि याचिकाकर्ता को नियम 14(10) 2017 में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने थे। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को सफल बोलीदाता घोषित किए जाने के बाद ही ई-नीलामी नोटिस की अपेक्षित शर्तें और नियम 2017 के प्रावधान लागू होते हैं और उच्चतम बोलीदाता घोषित किए जाने के बाद याचिकाकर्ता को उसकी गलती का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसे ई-नीलामी नोटिस की शर्तों और नियम 2017 के प्रावधानों की पूरी जानकारी थी और इस प्रकार याचिकाकर्ता ने बोली सुरक्षा राशि जमा की थी और ई-नीलामी में भाग लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार याचिकाकर्ता ने जानबूझकर नियमों और शर्तों पर सहमति दे दी, तो उसे अपनी बोलियां जमा करने और उच्चतम बोलीदाता घोषित होने के बाद ई-नीलामी नोटिस की शर्तों के संबंध में संदेह उठाने से रोक दिया गया है।

19. विद्वान एएजी ने आगे प्रस्तुत किया कि ई-नीलामी की कार्यवाही बजरी लीज एलओआई होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी [एमएएनयू/एससी/1048/2021] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2021 के आदेश के अनुसार जारी निर्देशों के अनुसार आयोजित की गई है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई की तारीख 16.07.2024 है, इस प्रकार वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों ने बजरी लीज एलओआई होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी (सुप्रा) के

मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है।

20. विद्वान एएजी ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 15.04.2024 (अनुलग्नक 15) का कार्यालय आदेश जारी करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया है, क्योंकि इसे 2017 के नियमों के नियम 14 (11) को लागू करते हुए जारी किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता जिसे 2017 के नियमों के नियम 14 (10) के तहत सफल बोलीदाता घोषित किया गया था, उसे ई-नीलामी पूरी होने के पंद्रह दिनों के भीतर प्रतिवादियों को प्रस्तावित प्रीमियम राशि के 40% की पहली किस्त के साथ कुछ दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता शर्तों का पालन करने में विफल रहा और इस प्रकार बोली की सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई है और याचिकाकर्ता को आगे की ई-नीलामी में भाग लेने से पांच साल के लिए रोक दिया गया है।

21. विद्वान एएजी ने एन.जी.प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम विनोद कुमार जैन एवं अन्य [(2002) 6 एससीसी 127] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि बोलीदाता ने निविदा शर्त को पूरा किया है या नहीं, इसका निर्धारण मुख्य रूप से बोली आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है और रिट न्यायालयों को तकनीकी प्रश्नों से जुड़े अनुबंधों में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होना चाहिए और साथ ही, नियोक्ता पर यह निर्णय थोपने से बचना चाहिए कि वह निविदाकर्ता की बोली स्वीकार करे या नहीं। निर्णय के प्रासंगिक पैरा इस प्रकार हैं:

> "22. बोलीदाता निविदा की शर्तों को पूरा करता है या नहीं, यह मुख्य रूप से बोली आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण पर

निर्भर करता है। ऐसा प्राधिकरण गैर-प्रदर्शन के परिणामों का मूल्यांकन करते समय निविदाकर्ताओं से अपेक्षाओं से अवगत होता है। विचाराधीन निविदा में 15 बोलीदाता थे। 13 निविदाकर्ताओं की बोलियाँ अनुत्तरदायी पाई गईं, अर्थात् निविदा की शर्तों को पूरा नहीं करतीं। रिट याचिकाकर्ता उनमें से एक था। रिट याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि तकनीकी मूल्यांकन समिति की कार्रवाई बाहरी विचारों से प्रेरित थी या दुर्भावनापूर्ण थी। इसलिए, एक ही तथ्यों के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा सद्भावनापूर्वक विभिन्न निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है। चूँकि तकनीकी मूल्यांकन समिति का दृष्टिकोण रिट याचिकाकर्ता को पसंद नहीं था, इसलिए ऐसा निर्णय सफल बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करने में हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं रखता।

23. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, रिट न्यायालय को निविदाकर्ता की बोली स्वीकार करने या न करने के मामले में नियोक्ता के निर्णय पर अपना निर्णय थोपने से बचना चाहिए। न्यायालय के पास राज्य की वर्तमान आर्थिक गतिविधियों की शर्तों की जांच करने की विशेषज्ञता नहीं है और इस सीमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालयों को तकनीकी मुद्दों से जुड़े अनुबंधों में हस्तक्षेप करने में और भी अधिक अनिच्छुक होना चाहिए क्योंकि ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। न्यायालय का दृष्टिकोण अपने हाथों में आवर्धक कांच लेकर दोष खोजने का नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या निर्णय लेने

की प्रक्रिया निविदा शर्तों द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद है। यदि न्यायालय को लगता है कि पूरी तरह से मनमानी की गई है या निविदा को दुर्भावनापूर्ण तरीके से मंजूरी दी गई है, तब भी न्यायालय को निविदा के अनुदान में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, बल्कि अनुबंध के निष्पादन पर रोक लगाने के बजाय पक्षों को गलत तरीके से बहिष्कृत किए जाने के लिए क्षतिपूर्ति मांगने के लिए बाध्य करना चाहिए। निविदा में निषेधाज्ञा या हस्तक्षेप राज्य पर अतिरिक्त लागत लाता है और सार्वजनिक हित के भी विरुद्ध है। इसलिए, राज्य और उसके नागरिकों को दोहरा नुकसान होता है, पहला, बढ़ती लागत का भुगतान करके और दूसरा, उस बुनियादी ढांचे से वंचित होकर जिसके लिए वर्तमान सरकारों से काम करने की उम्मीद की जाती है।"

22. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई की गई, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया तथा बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया गया।

23. इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की यह आपत्ति कि ई-नीलामी नोटिस में शर्त अस्पष्ट है, क्योंकि एक ओर यह कहा गया है कि खनन पट्टे की अवधि पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी और दूसरी ओर, 2017 के नियम 16 (3) के प्रावधान के अनुसार, खनन पट्टा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त पर प्रदान किया जाएगा कि पट्टेदार ई.सी. प्राप्त करने के बाद खनन कार्य शुरू करेगा और इस प्रकार याचिकाकर्ता को यह स्पष्टता नहीं है कि खनन पट्टे के शुरू होने की वास्तविक तिथि क्या होगी, इस कारण से टिकने योग्य नहीं है क्योंकि 2017 के नियम 16 (3) में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि खनन पट्टा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस

शर्त के साथ प्रदान किया जाएगा कि पट्टेदार ई.सी. प्राप्त करने के बाद खनन कार्य शुरू करेगा और इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि ई.सी. प्रदान किए जाने के बाद ही खनन कार्य शुरू किया जा सकता है। नियम 2017 के नियम 16 (3) के अनुसार, पट्टेदार को ईसी प्राप्त करने के बाद खनन कार्य शुरू करना होगा, और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को खनन पट्टे के शुरू होने की तारीख स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नियम 2017 के नियम 16 (3) में निम्नलिखित लिखा है:

> "16. खनन पट्टा प्रदान करना.-
>
> xxx
>
> (3) यदि आवेदक या सफल बोलीदाता, जैसा भी मामला हो, निर्धारित या विस्तारित अवधि के भीतर शर्तों का अनुपालन करता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षेत्र प्रदान किया जाएगा और आवेदक या सफल बोलीदाता, जैसा भी मामला हो, को पंजीकृत डाक और ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।"

ई-नीलामी नोटिस की प्रासंगिक शर्त V (1) इस प्रकार है:

> "खनिज बजरी के खनन पट्टे की अवधि संविदा पंजीयन की दिनांक से 5 वर्ष के लिये होगी।"

24. इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि ई-नीलामी नोटिस में निर्धारित शर्ते अर्थात (2) एवं (5) अस्पष्ट एवं विरोधाभासी प्रकृति की हैं, क्योंकि एक ओर प्रतिवादियों ने कहा है कि खनिज बजरी का अधिकतम विक्रय मूल्य प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो बजरी के खड्ड के मुहाने पर विक्रय पर लागू होगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बजरी को प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य पर खड्ड के मुहाने पर बेचा जाना है; तथा दूसरी ओर शर्त संख्या एन (2) के अनुसार पट्टाधारक को

नदी के 2 किलोमीटर के दायरे में दो स्टॉक स्थल का चयन करना होगा, जिस पर वह नियमों के अनुसार बजरी का स्टॉक करेगा, जिससे पता चलता है कि बजरी की बिक्री नदी के गड्ढे के मुहाने पर की जानी है, जो टिकाऊ नहीं है, क्योंकि ई-नीलामी नोटिस में उक्त शर्त एन (2) का उल्लेख 2017 के नियम 13 के परंतुक (6) के आलोक में किया गया है, जो राज्य सरकार को पट्टे के गड्ढे के मुहाने पर अधिकतम बिक्री मूल्य निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"13. ई-नीलामी के लिए बोली मानदंड:

(6) खनिज बजरी के मामले में, राज्य सरकार पट्टे के गड्ढे के मुहाने पर अधिकतम बिक्री मूल्य निर्दिष्ट कर सकती है और सफल बोलीदाता ऐसी निर्दिष्ट कीमत पर बजरी की डिलीवरी या बिक्री करेगा।"

ई-नीलामी नोटिस की शर्त संख्या (2) इस प्रकार है:

"लीज धारक नदी के 2 किलोमीटर परिधि में दो स्टॉक स्थल का चयन करेगा जिस पर खातेदार से पंजीकृत सहमति प्राप्त कर नियमानुसार बजरी स्टॉक करेगा। स्टॉक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, खनिज का आवक-जावक रजिस्टर व वे-ब्रिज स्थापित करेगा। स्टॉक स्थल पर एन्ट्री व एक्जिट पॉईन्ट अलग-अलग होंगे।"

ई-नीलामी नोटिस की शर्त संख्या (5) इस प्रकार है:

"5 लीजधारक खनि ज बजर क पि ट माउथ र बचा क अनिधाकतमा कमात रज्य सरकर द्वार क्तूली क ज वाली रयल्ट क 4 गु होगु, जिजसमा रयल्ट, डी.एमा.एफ.ट. बर एसएमाईट सजि मानिलीत होगु ज तूमाय-तूमाय र रयल्ट क दर मा

रिरवात ह ो र समा नितक रू स रिरवातशीली रहोगु एवा तद् सर पि ट म ाउथ र बचा क अनिधाकतमा कमात क न ि धारण किकय ज सकगु नि धारिरत अनिधाकतमा दर स अनिधाक दर र खनि ज बजर क प िवाक्रय पि ट माउथ र हो किकय ज सकगु।"

25. अतः उपरोक्त के मद्देनजर ई-नीलामी नोटिस की शर्त संख्या (5) के आधार पर याचिकाकर्ता की यह आशंका कि पट्टेदार बजरी का उत्खनन गड्ढे के मुहाने से कर सकता है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शर्त यह नहीं दर्शाती है कि पट्टाधारक को बजरी का उत्खनन गड्ढे के मुहाने से करने की अनुमति दी गई है, बल्कि राज्य सरकार को वर्ष 2017 के नियम 13 (6) के तहत नदी के गड्ढे के मुहाने पर विक्रय मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है, बल्कि पट्टेदार को बजरी का विक्रय गड्ढे के मुहाने पर निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पर करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। चूंकि राज्य सरकार को पट्टे के गड्ढे के मुहाने पर अधिकतम विक्रय मूल्य निर्दिष्ट करने का अधिकार है और सफल बोलीदाता को बजरी को ऐसी निर्दिष्ट कीमत पर बेचना आवश्यक है, ई-नीलामी नोटिस में बाद की शर्त अर्थात संख्या (5) केवल पट्टेदार को सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर से अधिक दर पर बजरी बेचने से रोकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियम 16 (3) के प्रकाश में खनिज बजरी का अधिकतम विक्रय मूल्य पट्टे के गड्ढे के मुहाने पर निर्दिष्ट है, और इसलिए ई-नीलामी नोटिस की बाद की शर्त यानी एन (5) में पट्टेदार को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट गड्ढे के मुहाने पर अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर खनिज बजरी बेचने से रोका गया है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि शर्त एन (2) और (5) अस्पष्ट और एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विद्वान एएजी के प्रस्तुतीकरण के अनुसार, 132 बोलीदाताओं ने बिना किसी

आपत्ति के ई-नीलामी नोटिस में भाग लिया है और सफल बोलीदाताओं को भी प्रतिवादियों द्वारा घोषित किया गया है, जो यह भी दर्शाता है कि ई-नीलामी नोटिस में प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित शर्तों में कोई अस्पष्टता/विरोधाभास नहीं है और वे स्व-व्याख्यात्मक हैं।

26. यह न्यायालय, दिनांक 06.03.2024 के ई-नीलामी नोटिस (अनुलग्नक 2) के साथ-साथ 2017 के नियम 15(9) का अवलोकन करने पर पाता है कि, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि एक बार याचिकाकर्ता ने अपनी बोली प्रस्तुत कर दी है, तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ई-नीलामी नोटिस के सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है और समझ लिया है और इस प्रकार, उसे जानबूझकर और जानबूझकर 40,00,000/- रुपये की बोली सुरक्षा जमा करने के बाद, अस्पष्ट और संदिग्ध होने के कारण उसी ई-नीलामी नोटिस पर सवाल उठाने का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ई-नीलामी नोटिस में प्रासंगिक शर्त इस प्रकार है:

> "स ई- लीमाकप्रकिकय xxxx 2. बलीदत द्वारआवाद शील्क एवापिबडी निसक्यरिरटजमाकर र यहो मा जवागु किक बलीदत द्वार ई- लीमा क शीत एवाआर.एमा.एमा.स.आर. 2017 कप्रवाधा क ध्य गुय हो। बली प्रस्तत कर मा किकस भी असवाधा , गुलीतअथवाकमाहोतबलीदतस्वाय जिजमादर होगु।"

संबंधित नियम इस प्रकार है:

> "15. ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर कोई भी बोली प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश।-
>
> (9) यह माना जाएगा कि बोली प्रस्तुत करके बोलीदाता ने

(i) ई-नीलामी के लिए नियमों या दिशा-निर्देशों की पूरी और सावधानीपूर्वक जांच की है और बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से उनकी शर्तों को स्वीकार किया है;

(ii) सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी प्रासंगिक जानकारी की समीक्षा की है, जो बोली के लिए प्रासंगिक हो सकती है;

(iii) ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले से संबंधित सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्रदान की गई जानकारी में अपर्याप्तता, त्रुटि या गलती के जोखिम को स्वीकार किया है;

(iv) नियमों के अनुसार सूचित बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों के बारे में खुद को संतुष्ट किया है; और

(v) स्वीकार किया है और सहमति व्यक्त की है कि ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले की अपर्याप्तता, अपूर्णता या जानकारी की गलतता या अज्ञानता सरकार से मुआवजे, क्षति, अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए समय विस्तार, लाभ की हानि आदि के किसी भी दावे का आधार नहीं होगी।

27. यह न्यायालय यह भी मानता है कि 2017 के नियमों का नियम 14(10) बिल्कुल स्पष्ट है और ई-नीलामी में सफल घोषित होने के बाद बोली लगाने वाले पर लगाए गए दायित्वों के संबंध में कोई संदेह नहीं छोड़ता है, जिसमें ई-नीलामी के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता को प्रस्तावित प्रीमियम राशि के 40% के साथ इसमें उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना भी शामिल है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को क्रमशः 2017 के नियमों और ई-नीलामी नोटिस दिनांक 06.03.2024 (अनुलग्नक 2) में उल्लिखित स्पष्ट प्रावधानों और शर्तों

के मद्देनजर अपनी गलत व्याख्या का लाभ नहीं दिया जा सकता है। 2017 के नियमों का नियम 14(10) इस प्रकार है:

"(10) सफल बोलीदाता की घोषणा के पश्चात, सफल बोलीदाता को प्रस्तावित प्रीमियम राशि के चालीस प्रतिशत की प्रथम किस्त के साथ निम्नलिखित दस्तावेज ई-नीलामी पूर्ण होने के पन्द्रह दिनों के भीतर संबंधित खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता को प्रस्तुत करने होंगे:-

(i) विभाग की बकाया राशि के संबंध में शपथ-पत्र;

(ii) संबंधित खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता से बकाया राशि का प्रमाण-पत्र, जहां बोलीदाता के पास खनिज रियायत या रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध या अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध है या था: बशर्ते कि फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के संघ के मामले में शपथ-पत्र और बकाया राशि का प्रमाण-पत्र सभी भागीदारों, निदेशकों या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो।

(iii) एसोसिएशन का ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख, बोलीदाता के कंपनी होने की स्थिति में निगमन का प्रमाण-पत्र या साझेदारी विलेख और बोलीदाता के फर्म होने की स्थिति में फर्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जैसा भी मामला हो;

(iv) फॉर्म 4 में निर्दिष्ट प्रारूप में पावर ऑफ अटॉर्नी या फर्म या कंपनी के मामले में बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में निदेशक मंडल का संकल्प, जैसा भी मामला हो;

(v) पैन कार्ड या 2[जीएसटीआईएन] की एक प्रति;

(vi) पते के प्रमाण की एक प्रति; और

(vii) ई-मेल पता और मोबाइल नंबर।

28. यह न्यायालय आगे यह भी देखता है कि यदि कोई सफल बोलीदाता 2017 के नियम 14(10) के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक करता है, तो 2017 के नियम 14(11) के तहत बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली सुरक्षा को जब्त किया जा सकता है और उसे पांच साल के लिए भविष्य की ई-नीलामी में भाग लेने से रोका जा सकता है और इस प्रकार, जब 2017 के नियम 14(11) में 2017 के नियम 14(10) का अनुपालन न करने की स्थिति में कार्रवाई के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान है, तो 2017 के नियम 14(14) को लागू नहीं किया जा सकता है, जिसमें बोलीदाता को पांच साल की अवधि के लिए आगे की नीलामी में भाग लेने के लिए काली सूची में डालने के बाद पंद्रह दिनों का नोटिस भेजने का प्रावधान है। दोनों प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 2017 के नियम 14(11) के तहत 2017 के नियम 14(10) का अनुपालन न करने की स्थिति में बोलीदाता को पांच वर्षों के लिए 'आगे की ई-नीलामी' में भाग लेने से 'रोक' दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर 2017 के नियम 14(14) की भाषा में स्पष्ट रूप से पंद्रह दिनों के नोटिस की आवश्यकता को निर्दिष्ट किया गया है, यदि रोक के बाद बोलीदाता को पांच वर्षों की अवधि के लिए 'भविष्य की नीलामी' में भाग लेने के लिए 'काली सूची' में डाल दिया गया है। इसलिए, दोनों प्रावधान अलग-अलग कारण से उत्पन्न होते हैं और वर्तमान मामले में, जैसा कि दिनांक 15.04.2024 के आरोपित आदेश (अनुलग्नक 15) से देखा जा सकता है, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत 40,00,000/- रुपये की बोली सुरक्षा जब्त कर ली गई है और याचिकाकर्ता को 2017 के नियम 14(11) के तहत पांच साल के लिए आगे की 'ई-नीलामी' में भाग लेने से रोक दिया गया है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिनांक 15.04.2024 (अनुलग्नक 15) के कार्यालय आदेश जारी करते समय प्रतिवादियों ने नियम 14 (11) 2017 का हवाला देते हुए 40 लाख रुपये की

सुरक्षा राशि जब्त कर ली है और याचिकाकर्ता को पांच साल के लिए बोली में भाग लेने से रोक दिया है और यदि प्रतिवादी नियम 14 (14) 2017 का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को भविष्य की नीलामी में भाग लेने से पांच साल की अवधि के लिए काली सूची में डालना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को पंद्रह दिन पहले नोटिस देना होगा और ऐसा अभ्यास नियम 14 (11) 2017 का हवाला देते हुए बोलीदाता को प्रतिबंधित किए जाने के बाद किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को कार्यालय आदेश दिनांक 15.04.2024 (अनुलग्नक 15) के तहत काली सूची में नहीं डाला गया है और याचिकाकर्ता को केवल प्रतिबंधित किया गया है और सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली गई है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि दिनांक 15.04.2024 को आदेश पारित करने से पहले पंद्रह दिन पहले नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था (अनुलग्नक 15) कोई बल नहीं रखता है। 2017 के नियमों का नियम 14(11) इस प्रकार है:

> खनिज रियायत की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी और बोली प्रक्रिया।-
>
> (11) यदि सफल बोलीदाता उप-नियम (10) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो जमा की गई बोली सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और उसे आगे की ई-नीलामी में भाग लेने से पांच साल के लिए रोक दिया जाएगा। ऐसे मामले में, नई ई-नीलामी आयोजित की जाएगी।
>
> xxxx
>
> (14) बोलीदाता को रोकने के बाद निदेशक उसे पंद्रह दिन का नोटिस देने के बाद पांच साल की अवधि के लिए भविष्य की नीलामी में भाग लेने के लिए काली सूची में डाल सकता है।

दिनांक 15.04.2024 के विवादित आदेश का प्रासंगिक भाग (अनुलग्नक 15) इस प्रकार है:

" अत रजस्थ अप्रधा खनि ज रिरययत नि यमा, 2017 कनि यमा 14 (10) क ल ी हो किकयज कफलीस्वारू नि यमा 14 (11) कप्रवाधा असर कयलीय खनि अनिभीयन्त, भीलीवाडीकठक्त प्लीट सख्यबज-05 होतठच्चातमा बलीदत मासस Arawali Resources LLP/497151 द्वार जमाकरई गुई प िबडी प्रनितभीनित रनिशी रूय-40,00,000/- (अक्षर रूयचालीस लीख मात्र) जब्त कजकर ठन्होआगुमा चा वार्षोंक निलीयई- लीमासकिडीबर किकयजत ह ो।"

29. इसके अलावा, यह न्यायालय यह मानता है कि सफल बोलीदाता घोषित किए जाने के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 28.03.2024 (अनुलग्नक 4) के सूचना मेल के माध्यम से याचिकाकर्ता को विधिवत सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता को नियम 2017 के नियम 14(10) में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रथम किस्त, अर्थात् प्रस्तावित प्रीमियम राशि के 40% के साथ ई-नीलामी की समाप्ति तिथि से 15 दिनों के भीतर खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता को प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता को भविष्य की ई-नीलामी में भाग लेने से 5 वर्ष के लिए वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 13.04.2024 (अनुलग्नक 13) को एक ईमेल भी भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि एनआईबी की शर्तें, यानी ई-नीलामी अपने आप में पर्याप्त और स्पष्ट हैं और इस प्रकार, किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, याचिकाकर्ता को ई-नीलामी की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर अपेक्षित शर्तों को पूरा करना चाहिए था। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता को इस तथ्य का ज्ञान था कि प्रतिवादी बोली सुरक्षा को जब्त करने और याचिकाकर्ता को वंचित करने के लिए स्वतंत्र होंगे यदि नियम 14 (10) की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं और यह जानने के

बावजूद, याचिकाकर्ता कई पत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगता रहा और ई-नीलामी के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता को प्रस्तावित प्रीमियम राशि का 40% जमा नहीं किया।

30. इस प्रकार, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, राजस्थान सरकार द्वारा पारित दिनांक 15.04.2024 (अनुलग्नक 15) के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। रिट याचिकाओं में कोई दम नहीं है, इसलिए उन्हें खारिज किया जाता है। स्थगन आवेदनों के साथ-साथ अन्य सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी खारिज किए जाते हैं।

(डॉ. नूपुर भाटी), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।